कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक : e885/जिकाअ/आं.बा.चयन/विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक : 13 जुलाई, 2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 मे वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद–शाहजहाँपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रो मे संचालित समस्त बाल विकास परियोजनाओ मे आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो के मानदेय आधारित रिक्त पदो पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वैकेन्सी मेनेजमेन्ट पोर्टल **http://upanganwadibharti.in** पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2026 से आमंत्रित किये जाते है, रिक्त पदो का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :–

परियोजनावार आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1	बण्डा	ग्रामीण/नगरीय	49
2	भावलखेड़ा	ग्रामीण/नगरीय	66
3	ददरौल	ग्रामीण	20
4	जैतीपुर	ग्रामीण	05
5	जलालाबाद	ग्रामीण	10
6	कांट	ग्रामीण	14
7	कलान	ग्रामीण	08
8	खुटार	ग्रामीण	09
9	खुदागंज	ग्रामीण	12
10	मदनापुर	ग्रामीण	24
11	मिर्जापुर	ग्रामीण	04
12	निगोही	ग्रामीण	18
13	पुवायां	ग्रामीण/नगरीय	29
14	सिंधौली	ग्रामीण	15
15	तिलहर	ग्रामीण/नगरीय	14
16	शहर	नगरीय	36
कुल योग			333

उक्त पदो पर ग्रामसभावार/वार्डवार आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही वैकेन्सी मेनेजमेन्ट पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया।

<u>विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु मुख्य नियम व शर्ते निम्नवत् है :–</u>

1– विज्ञापित पदों पर केवल स्थानीय महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

2– चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1– 2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 मे वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।

3– आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओ हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होगी। आवेदिका के रिक्त पद के वार्ड (नगर निकाय की स्थिति मे)/रिक्त ग्रामपंचायत (ग्रामीण क्षेत्रो की स्थिति मे) की निवासी होना अनिवार्य है।

4— आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि (01.07.2026) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।

5— आयु के सम्बन्ध मे आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओ के लिए हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र मे अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

6— (1) विधवा हेतु ग्रामपंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

(2) तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।

(3) आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग—09 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या—3959/1—9—11—राज0—9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम मे सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगे, जिनका पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन संभव हो।

(4) गरीबी रेखा से नीचे की आय की सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध मे समाज कल्याण अनुभाग—2 उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश संख्या—22/2015/2123/26—2—2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

7— निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे तहसील से ऑनलाईन डिजीटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन संभव हो।

8— आय प्रमाण पत्र की वैधता की गणना विज्ञाप्ति प्रकाशित होने की तिथि से की जायेगी।

9— जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होगें।

10— अनारक्षित श्रेणी के पदो पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेगें।

11— विज्ञाप्ति पदो हेतु केवल वैकेन्सी मेनेजमेन्ट पोर्टल **http://upanganwadibharti.in** पर ऑनलाईन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर स्वीकार होगे। ऑफलाईन आवेदन फार्म किसी भी दशा मे मान्य/स्वीकार नही किये जायेगें।

12— आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही—सही सावधानीपूर्वक भरना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखो के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जाना प्राविधानित है, जिसके लिए आवेदिका स्वयं उत्तरदायी होंगी। आवेदिका द्वारा अभिलेखो की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ एवं पठनीय हो, को अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म मे किया गया हो।

13— उपरोक्त विज्ञाप्ति पदो की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाईट **http://upanganwadibharti.in** पर भी उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु तहसील कार्यालय/खण्ड विकास कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन मे जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय (बाल विकास), शाहजहाँपुर के कार्यालय दिवस मे निर्धारित समयावधि मे प्राप्त की जा सकती है।

14— आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती मे अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मेरिट, न्यूनतम इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम इण्टरमीडिएट या समकक्ष के अंको मे स्नातक या परास्तनाक के अंको को जोड़कर विभागीय पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के बिन्दु—7 के प्रस्तर (I) से (IV) तक मे उल्लिखित गणना के अनुसार मेरिट निर्धारण प्राविधानित है।

15— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे आवेदन फार्म मे विधवा/तलाकशुदा/ परित्यकता का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म मे उक्त श्रेणी का उल्लेख न करने पर अभ्यर्थी को विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का दावा मान्य/स्वीकार नही होगा।

16— ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज किसी विवरण वर्तनीय अशुद्धि आदि की दशा मे मूल अभिलेख मे दर्ज विवरण को ही अन्तिम/सही माना जायेगा।

17— रिक्तियो की संख्या घट–बढ़ सकती है, जो वेबसाईट पर प्रदर्शित होगी।

18— विज्ञाप्ति पदो हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 03.08.2026 को रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

संलग्नक–रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो की विवरणवार सूची।

Digitally signed by
UTTAM KUMAR
Date: 13-07-2026
13:54:24

(उत्तम कुमार)
प्र0 जिला कार्यक्रम अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

पृष्ठांकन संख्या – /तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

2— जिलाधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर।

3— मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर।

4— जिला सूचना अधिकारी, शाहजहाँपुर।

5— समस्त सदस्यगण, चयन समिति, शाहजहाँपुर।

6— समस्त उपजिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

7— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।

8— समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार करना सुनिश्चित करें।

9— प्रधान सहायक एवं विज्ञापन प्रभारी, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमृत विचार को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति न्यूनतम शासकीय दर पर प्रकाशित करने के साथ ही बिल 02 प्रतियो मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10— कार्यालय प्रति।

प्र0 जिला कार्यक्रम अधिकारी,
शाहजहाँपुर।